

# शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय

धमतरी (छत्तीसगढ़)

स्थापित वर्ष 1995



## प्रवेश विवरणिका PROSPECTUS 2024-2025





सांस्कृतिक कार्यक्रम में अतिथियों का महाविद्यालय में आगमन



प्राचार्य डॉ. डी.आर. चौधरी जी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए



अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ



सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति



लोक नृत्य प्रस्तुत करती हुई महाविद्यालय की छात्राएं



माननीय मुख्य अतिथि चुन्नीलाल साहू जी का प्रेरणादायक भाषण



महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं



महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं

शासकीय नारायण राव मेघावाले

कन्या महाविद्यालय, धमतरी

जिला-धमतरी (छ.ग.)

(स्थापना वर्ष 1995)



प्रवेश विवरण पत्रिका

## प्राचार्य की कलम से...



छोटा महाविद्यालय मगर उड़ान है बाकी ।  
मंजिल है दूर, मगर हौसला है बाकी ॥  
न सोचना कि हम, थककर बैठ जायेंगे ।  
हमने पग बढ़ा दिया है, अपनी मंजिल जरूर पायेंगे ॥

इन्हीं पंक्तियों के साथ ही हमारा महाविद्यालय अपने सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है । इस प्रयास में हमारा महाविद्यालय परस्पर सहयोग, समन्वय व विद्यापूर्वक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करते हैं । शिक्षा व्यक्ति की चेतना को जागृत कर उसे सृजनशील बनाती है । जिस व्यवस्था के माध्यम से ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों को नयी पीढ़ियों में संचारित किया जाता है, वह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली कहलाती है । हर शैक्षणिक संस्थान की सबसे छोटी परंतु मूलभूत इकाई है छात्र-छात्राएँ । चूँकि हमारा महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय है इसलिए हमारा दायित्व किंचित बढ़ जाता है ।

“नारी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी” इस कथन की सार्थकता हेतु हमारा महाविद्यालय अग्रसर है । नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारा महाविद्यालय निरंतर प्रयासरत रहता है । नारी शिक्षा से न केवल एक घर, एक परिवार बल्कि सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र भी शिक्षित होता है ।

मेरी शुभकामनाएँ महाविद्यालय की छात्राओं के लिए है कि वे शिक्षित हों, प्रगति करें और समाज का एक अंग बनकर रचनात्मक कार्यों में सहयोग दे स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनें, साथ ही उनमें वैचारिक स्वतंत्रता हो ।

**डॉ. डी. आर. चौधरी**  
प्राचार्य

# अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ क्रं.
उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था/संकायवार उपलब्ध विषय	01
प्रवेश संबंधी निर्देश	02-04
शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण	05
धरोहर राशि एवं छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का विवरण	06-07
रैगिंग का प्रतिषेध संबंधी निर्देश	08
विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता	09
अध्ययन / परीक्षा संबंधी नियम	10
अकादमिक कैलेण्डर	11-14
महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र	15
महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ	16-17
कैरियर एवं गाइडेंस सेल	18

# शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी

## सामान्य परिचय

शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय की स्थापना सन् 1995 में हुई। यह महाविद्यालय धमतरी जिले का एक मात्र कन्या महाविद्यालय है। प्रारंभ में महाविद्यालय में कला संकाय प्रारंभ की गई। सन् 1997 में सांसद निधि, विधायक एवं जन सहयोग से सिहावा रोड़ स्थित 1.83 एकड़ भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण हुआ।

वर्तमान में महाविद्यालय के लिए 8.33 एकड़ भूमि रूद्री रोड जनपद पंचायत के निकट आबंटित किया गया है। जहां पर महाविद्यालय संचालित है।

इस महाविद्यालय की छात्राएं अनुशासित हैं तथा परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहता है। इनका झुकाव सदैव रचनात्मक कार्यों में रहता है। विद्या अध्ययन के अतिरिक्त महाविद्यालय में अन्य विधाओं – जैसे खेलकूद में भी छात्राओं की सहभागिता रहती है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं जिसमें छात्राओं की सहभागिता प्रशंसनीय रहती है।

स्वीप प्लान में छात्राओं का सहयोग प्रशंसनीय रहा, महाविद्यालय में एन.एस.एस. इकाई संचालित है जिसके तहत एन.एस.एस. की छात्राएं चयनित ग्राम में जाकर एन.एस.एस. की गतिविधियों को एवं रचनात्मक कार्यों के लिए ग्रामीणजन को प्रोत्साहित करते हैं। महाविद्यालय को प्रथम नैक मूल्यांकन में "ग्रेड बी" प्राप्त हुआ।

# भाग (एक) उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है :-

स्नातक स्तर	सीटों की संख्या
कला संकाय - बी.ए.	सीट 200
वाणिज्य संकाय - बी.कॉम.	सीट 65
विज्ञान संकाय - गणित समूह	सीट 80
	बायो समूह
	सीट 80
स्नातक प्रथम वर्ष के उपलब्ध सीटों की संख्या स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में भी यथावत रहेंगी ।	
एम.ए.(राजनीति विज्ञान)	सीट 20
पी.जी.डी.सी.ए.	सीट 20
एम.एस.सी. रसायन	सीट 30

## संकायवार उपलब्ध विषय

### कला संकाय (बी.ए.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा)  
(2) पर्यावरण अध्ययन (केवल बी.ए. प्रथम वर्ष के लिए)
2. वैकल्पिक विषय :  
निम्न विषयों में से तीन विषयों को चयन करना होगा :-  
(1) समाज शास्त्र (2) राजनीति शास्त्र (3) भूगोल  
(4) हिन्दी साहित्य (5) अर्थशास्त्र (6) इतिहास

### वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा)  
(2) पर्यावरण अध्ययन (केवल बी.कॉम. प्रथम वर्ष के लिए)  
तथा सभी अनिवार्य विषय

### विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा)  
(2) पर्यावरण अध्ययन (केवल बी.एस.सी. प्रथम वर्ष के लिए)
2. बी.एस.सी. (गणित समूह) :- गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र  
बी.एस.सी. (बायो समूह) :- रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र

**Value Added Course : The Art of Mehendi Design - स्ववित्तीय (30 घण्टे का)**

## सामान्य सूचनाएँ

1. यदि विद्यार्थी एक संकाय को छोड़कर दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जाएगा ।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करें । विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जाएगी, प्रवेश सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्था की जाएगी ।
4. प्रवेश सूचना जारी होने के 07 दिनों के अंदर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा ।
5. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।
6. विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ की तिथी से की जावेगी । उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी । यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी ।
7. प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि होना आवश्यक है ।
8. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के बाद मूल अंकसूची कार्यालय से तुरंत लेने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की ही होगी ।
9. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न होने पर विद्यार्थी न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगा

## अर्हता

अर्हता संबंधी नियम राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे ।

सूचना :-

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को छोड़ कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना होगा ।
2. महाविद्यालय में विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मान्य होने तक अस्थायी रहेगा । अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा ।
3. पूर्व परीक्षा में जो विद्यार्थी अमहाविद्यालयीन (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हो अथवा अन्य विश्वविद्यालय से आए हों, उन्हें विश्वविद्यालय नामांकन फॉर्म भरना अनिवार्य है ।



# शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

## प्रवेश शुल्क का विवरण सत्र 2024-25

क्र.	मद विवरण	राशि स्नातक	राशि स्नातकोत्तर	पीजीडिसीए			
<b>शासकीय शुल्क</b>							
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00			
2.	स्टेशनरी शुल्क	2.00	2.00	2.00			
3.	प्रायोगिक शुल्क	20.00	0.00	20.00			
	योग	25.00	5.00	25.00			
<b>अशासकीय शुल्क</b>							
1.	प्रायोगिक शुल्क (कला/विज्ञान/कम्प्यू.)	50/100.00	0.00	500.00			
2.	काशनमनी	60.00	100.00	500.00			
3.	निर्घन छत्र कल्याण	10.00	10.00	10.00			
4.	वाचनालय	20.00	20.00	20.00			
5.	शारीरिक कल्याण	100.00	100.00	100.00			
6.	सायकल स्टैण्ड	30.00	30.00	30.00			
7.	परिचय पत्र	30.00	30.00	30.00			
8.	चिकित्सा	10.00	10.00	10.00			
9.	सम्मिलित निधि	32.00	32.00	32.00			
10.	विकास शुल्क	25.00	25.00	100.00			
11.	स्नेह सम्मेलन	70.00	70.00	70.00			
12.	पत्रिका	50.00	50.00	50.00			
13.	युवा उत्सव	40.00	40.00	40.00			
14.	छत्रसंघ	40.00	40.00	40.00			
15.	आंतरिक परीक्षा	100.00	100.00	500.00			
16.	विभागीय/कम्प्यूटर कक्ष व्यवस्थापन	0.00	200.00	300.00			
17.	स्वच्छता शुल्क	25.00	25.00	25.00			
	योग	642+50/100.00	882.00	2357.00			
<b>विश्वविद्यालयीन शुल्क</b>							
1.	नामांकन	150.00	150.00	150.00			
2.	शारीरिक कल्याण शुल्क	50.00	50.00	50.00			
3.	ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क	50.00	50.00	50.00			
	योग	250.00	250.00	250.00			
क्र.	शुल्क विवरण	बी.ए.(प्रायो.)	बी.ए.	बी.कॉम.	बी.एस.सी.	एम.ए.	पीजीडिसीए
1.	शासकीय शुल्क	25.00	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00
2.	अशासकीय शुल्क	692.00	642.00	642.00	742.00	882.00	2357.00
3.	विश्वविद्यालयीन शुल्क	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
4.	रेडक्रास	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
5.	जनभागीदारी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00
	कुल योग	1507.00	1437.00	1437.00	1557.00	1677.00	4672.00

## धरोहर राशि (अमानत राशि) प्राप्त करने के लिये नियम

1. धरोहर राशि निकालवाने के लिये निर्धारित आवेदन पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें ।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही धरोहर राशि दी जायेगी ।
3. परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा ।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । तीन वर्ष व्यतीत होने पर धरोहर राशि वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी ।

## छात्रवृत्तियाँ-शिष्यवृत्तियाँ

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें । आवेदन पत्र कार्यालय से प्रदान किये जायेंगे । अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है ।
2. आवेदन पत्र लेकर समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें । विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । इसके लिये महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी ।
3. पात्रता होने पर यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त सुविधाओं के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी ।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सूचना विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी ।
5. विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं परन्तु छात्रवृत्ति के नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

## छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समयावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति संबंधी सूचनाएं समय-समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के लिये है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. विद्यार्थी को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष जुलाई में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलनी बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का ही होगा।
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास विद्यार्थी के लिये नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है, अतः कालेज में नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन सूचनाएं देखें और तदनुसार आवेदन पत्र समयावधि में जमा करें।
11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है। इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
12. शासन के नियमानुसार जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप :- महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते हैं, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

## रैगिंग का प्रतिषेध संबंधी निर्देश

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 पारित किया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

### परिभाषा

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता है या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रवर्तित करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उससे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

### रैगिंग का प्रतिषेध

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

### दण्ड

यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

### अपराधों का विचारण

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

### छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के पास इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निर्लंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर, तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

# विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

## सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों के संचालन में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में झूठ-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में अध्ययन के दौरान मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

## अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

## परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र एवं प्री-फाइनल परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थता वश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न, गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

**शैक्षणिक सत्र 2024-25 का अकादमिक कैलेण्डर**  
(वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा)

क्रं.	विवरण	तिथियाँ
<b>प्रवेश प्रक्रिया :-</b>		
1.	(क) स्नातक प्रथम वर्ष	18.06.2024 से 31.07.2024 तक
	(ख) अन्य कक्षाओं हेतु रिक्त स्थान होने पर	18.06.2024 से 15.07.2024 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन के भीतर
	(ग) प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार	
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	14 अगस्त 2024 तक
3	नियमित कक्षाएँ प्रारंभ	01.07.2024 से
4	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह से
5	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	16.06.2025 तक
6	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा	16.08.2025 तक
7	पूरक परीक्षा का आयोजन	न्यूनतम समय में
8	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा	31.10.2025 तक
<b>9 छात्रसंघ गतिविधियाँ :-</b>		
	(क) छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	24.08.2024 से 31.08.2024 तक छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/ मनोनयन शासन के निर्देशानुसार
<b>10 खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :-</b>		
	(क) खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2024 से
	(ख) खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2024 तक
	(ग) महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	19, 20 एवं 21 दिसम्बर 2024 में से कोई दो दिन
<b>11 एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :-</b>		
	(क) वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2024 के द्वितीय सप्ताह में
	(ख) महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	20, 21 एवं 23 दिसम्बर 2024 में से कोई एक दिन
	(ग) एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	23.12.2024 से 30.12.2024 तक
	(घ) दीक्षान्त समारोह	जनवरी-फरवरी 2025

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्रं.	विवरण	तिथियाँ
12	अवकाश :-	
	(क) दशहरा अवकाश (3 दिन)	10.10.2024 से 12.10.2024 तक
	(ख) दीपावली अवकाश (5 दिन)	29.10.2024 से 02.11.2024 तक
	(ग) शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	26.12.2024 से 28.12.2024 तक
	(घ) ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2025 से 15.06.2025 तक
13	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम :-	
	1 प्रथम यूनिट परीक्षा	28, 29, 30 अगस्त 2024
	2 द्वितीय यूनिट परीक्षा	24, 25, 26 सितंबर 2024
	3 तृतीय यूनिट परीक्षा	11, 12, 13 नवंबर 2024
	4 चतुर्थ यूनिट परीक्षा	12, 13, 14 दिसंबर 2024
	5 प्री-फाइनल परीक्षा	28, 29, 30 जनवरी 2025
14	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम :-	
	1 वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	फरवरी 2025 में
	2 वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च 2025 प्रथम सप्ताह से

नोट— अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में महाविद्यालय अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलेंडर का पालन सुनिश्चित हो।

### सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली

क.	अकादमिक कार्य	स्नातक / स्नातकोत्तर ) (I/II/IV/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक / स्नातकोत्तर ) (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
1	प्रवेश प्रक्रिया :-		
	प्रथम सेमेस्टर	18 जून से 31 जुलाई 2024 तक	-
	कुलपति के अनुमति से	14 अगस्त 2024 तक	-
	अन्य सेमेस्टर हेतु	18 जून से 15 जुलाई 2024 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन के भीतर	-
	प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार		
2	कक्षाओं का आरंभ	1 जुलाई 2024 से	02 जनवरी 2025 से
3	आंतरिक मुल्यांकन :-		
	प्रथम आंतरिक परीक्षा	21, 22, 23 अगस्त 2024	17, 18, 19 फरवरी 2025
	द्वितीय आंतरिक परीक्षा	24, 25, 26 सितंबर 2024	18, 19, 20 मार्च 2025
4	प्रायोगिक परीक्षाएँ	11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक	15 से 24 अप्रैल 2025 तक
5	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक	25 से 30 अप्रैल 2025 तक




क्र.	अकादमिक कार्य	स्नातक / स्नातकोत्तर ) (I/III/V/VIII/X सेमेस्टर)	स्नातक / स्नातकोत्तर ) (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
6	लिखित परीक्षा	28 नवंबर 2024 से	01 मई 2025 से
7	इंटरनशीप	लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात्	लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात्
8	परीक्षा परिणाम	31 दिसम्बर 2024 तक	15 जून 2025 तक


नोट:- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक प्रति सेमेस्टर 90 दिवसों से कम होने की स्थिति में महाविद्यालय अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलेंडर का पालन सुनिश्चित हो।


नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की सेमेस्टर कक्षाओं में प्रत्येक विषय के 2 आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति अनिवार्य है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. छात्रों के उपस्थिति की प्रथम गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 30 सितम्बर तक की जायेगी एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में 30 अगस्त/28 फरवरी तक की जायेगी।
5. छात्रों के उपस्थिति की द्वितीय गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 28 फरवरी तक की जायेगी एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में 31 अक्टूबर/15 अप्रैल तक की जायेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी।









# GOVT. N.R.M. GIRLS COLLEGE DHAMTARI (C.G.)



Academic Calendar (College)  
Session - 2024-2025



<u>Admission Procedure</u>	-	16-06-2024 TO 14-08-2024
<u>Sports And Cultural Activities</u>	-	July – Dec
<u>NSS/Sports/Extracurricular Activity</u>	-	'Every Saturday Of Month'
NSS 7 Days Special Camp	-	Oct. (10-20)
Annual Day/Sports	-	Dec – Jan
<b>Schedule Of Internal Examination</b>		
I Unit Test	-	Last Week Of Aug.
II Unit Test	-	Last Week Of Sep.
III Unit Test	-	Last Week Of Oct.
IV Unit Test	-	Last Week Of Nov.
V Unit Test	-	Last Week Of Dec.
G.K. Test (Online)	-	December
Pre Annual Exam	-	Last Week Of Jan.
<b><u>Other Activity</u></b>		
" World Environment Day "	-	05 June
" World Yoga Day"	-	21 June
" Campus Tree Plantation"	-	Month Of August
"National Sports Day"	-	29 Aug
"Teachers Day"	-	5 Sep
"Hindi Day"	-	14 Sep
"Gandhi Jayanti "	-	02 Oct
"Constitution Day"	-	26 Nov
"Educational Tour"	-	Last week of December
"National Youth Day	-	12 Jan
" World Science Day"	-	28 Feb

*(Signature)*

प्राचार्य

शास्त्र. एन.आर.एम. कन्या प्रयोगशाला  
धमतरी

# महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।

## नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्र/छात्राओं को उपस्थित माना जावेगा ।
3. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी ।
4. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी ।
5. उपस्थिति की द्वितीय गणना 14 फरवरी तक की जायेगी ।
6. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे ।

## कैरियर एवं गाइडेंस सेल

आप इस महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं आपको बधाई । इस महाविद्यालय की प्रतिभावान छात्राएँ समाज के अनेक क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं । महाविद्यालय को अपने इन प्रतिभावान छात्राओं पर गर्व है ।

आज वर्तमान परिदृश्य में महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना या डिग्री ग्रहण करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए वरन् आपको अपनी शिक्षा को कैरियर से जोड़ते हुए अभी से तय करना है कि आपको क्या बनना है एवं किस क्षेत्र में आपको अपना नाम रोशन करना है ।

आज समय आ गया है कि आप अपने सपनों का पंख पीजिए ताकि आप कैरियर के आकाश में लम्बी उड़ान भर सकें यह सब अपनी मुट्ठी में कैद कर सकें जो आप पाना चाहते हैं ।

महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल आप जैसे युवा छात्राओं का स्वागत करता है जो केवल डिग्री हासिल करने के लिए ही इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहे हैं । वरन् अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिए एवं कुछ बनकर दिखा देने का जज्बा लेकर इस महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं । महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल आपकी हर मदद करने के लिए तैयार है । आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं उसमें क्या संभावनाएँ हैं तथा अकादमिक स्तर पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन भी कैरियर एवं गाइडेंस सेल में आपको दिया जायेगा

महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील है :-

1. शिक्षा एवं रोजगार में समन्वय स्थापित करना ।
2. महाविद्यालय छात्राओं को अपनी रुचि, योग्यता एवं दक्षता के अनुरूप कैरियर का चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में रोजगार एवं शिक्षा समन्वय कार्यों में रुचि प्रदान करना ।
4. वैश्वीकरण (Gloablization) के नये दौर में बदलते हुए रोजगार परिदृश्य से छात्राओं को अवगत करना ।
5. रोजगार एवं कौशल विकास हेतु छात्राओं को प्रेरित करना ।



शैक्षणिक भ्रमण नारायणपुर



स्वच्छता ही सेवा



मतदाता जागरूकता अभियान



परिचर्चा विकसित भारत @ 2047



छात्राओं द्वारा मॉडल प्रदर्शन



होली मिलन समारोह, महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएँ



वार्षिक खेलकूद-कैम्प प्रतियोगिता



अंतर महाविद्यालयीन कराटे प्रतियोगिता



प्रेरणा योजना

# शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी महाविद्यालय परिवार



डॉ. डी. आर. चौधरी  
प्राचार्य

## राजपत्रित अधिकारी



डॉ. रोहिणी मरकाम  
सहा. प्राध्यापक  
(राजनीति विज्ञान)



डॉ. जे.एल. पाटले  
सहा. प्राध्यापक  
(समाजशास्त्र)



ओ.पी.चन्दे  
सहा. प्राध्यापक  
(वनस्पति विज्ञान)



डॉ. सी.एस. बाँधे  
क्रीडाधिकारी



राजेश कुमार  
सहा. प्राध्यापक  
(गणित)



हुकेश मार्कण्डेय  
सहा. प्राध्यापक  
(वाणिज्य)



दानेश्वर साहू  
सहा. प्राध्यापक  
(वाणिज्य)



श्रीमती दामिनी ठाकुर  
सहा. प्राध्यापक  
(अर्थशास्त्र)



आकाश साहू  
सहा. प्राध्यापक  
(रसायन शास्त्र)



अधु माधव देव  
सहा. प्राध्यापक  
(प्राणी शास्त्र)



रामचंद सोनी  
सहा. प्राध्यापक  
(वाणिज्य)



सुश्री रोली जांगड़े  
सहा. प्राध्यापक  
(अंग्रेजी)

## अराजपत्रित कर्मचारी (तृतीय वर्ग कर्मचारी)



मोनिका बघेल  
सहायक ग्रेड 03



डी. पी. गोस्वामी  
प्रयोगशाला तकनीशियन, भूगोल



अशवंत नेताम  
प्रयोगशाला तकनीशियन

## चतुर्थ वर्ग कर्मचारी



रमेश्वर दास घोघरे  
प्रयोगशाला परिचालक



सुकमनराम नेताम  
भूत्व



भूपेन्द्र यादव  
चौकीदार



पुरुषोत्तम नाग  
भूत्व



हर्षकुमार यादव  
डाटा एंट्री ऑपरेटर



रेवती साहू  
स्वच्छता कर्मचारी



घनश्याम साहू  
चौकीदार (जे.बी.ए.)



पुरस्कार वितरण करते हुए  
माननीय मुख्य अतिथि श्री चुन्नीलाल साह जी



खिलाड़ी युक्ति सिन्हा को पुरस्कार वितरण करते हुए



खिलाड़ी द्रौपती साह को पुरस्कार वितरण करते हुए



मॉडल प्रतियोगिता प्रथम पुरूस्कार बी.कॉम. तृतीय वर्ष



अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ



अतिथिगण एवं प्राचार्य प्रशस्ति पत्र वितरण करते हुए



अंतरमहाविद्यालयीन शतरंज प्रतियोगिता



महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं



महाविद्यालयीन स्टाफ



सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियाँ



सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियाँ "प्रहसन"



सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण